लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, **IAS.**

अपील संख्या – 11/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/42

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री दरवेश कटारा पिता स्व.रतीलाल जी कटारा, निवासी खांटवाडा, बांसवाडा	बनाम	उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 22–05–2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 28–02–2025 (पोस्टल ऑर्डर नं. 41एफ 060410) को प्रस्तुत कर 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जिसके कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 24–04–2025 जारी किया गया तथा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:22:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने उनके पत्रांक न्याय/ RTI/ 2024/ 765 दिनांक 16–05–2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 28.02.2025 को प्राप्त हुआ था। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान में इस कार्यालय में नही होने से प्रार्थी को सूचना दिया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थी को सूचना प्रदान नही की जा सकती। जिसकी सूचना से प्रार्थी स्वयं को इस कार्यालय के पत्रांक 751 दिनांक 15.05.2025 से सूचित किया है।

अपीलार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2025 पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने जिला कलक्टर (रेकार्ड शाखा) से प्राप्त करने हेतु लगभग 2 माह से अधिक समय के पश्चात् सूचित किया है।

हमने पत्रावली का एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। प्रार्थना पत्र में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा प्रकरण संख्या 79/89 बंटवारा फैसला दिनांक 6.7.1989 सम्पूर्ण प्रकरण की पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा ने अपीलार्थी को दिनांक 15.05.2025 को अवगत कराया है कि चाही गई सूचना जिला कलक्टर (रेकार्ड शाखा) में जमा होने से सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त करे। इस सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के पॉच

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:55 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

दिवस के भीतर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित करना था जो नही किया गया है। वरन प्रार्थी को सूचित करते हुए प्रश्नगत प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया गया है। जो विधि सम्मत नही है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 28–02–2025 (पोस्टल ऑर्डर नं. 41एफ 060410) अनुसार बिन्दु सं. 1 पर वांछित सूचना जिला कलक्टर (रेकार्ड अनुभाग) बांसवाडा से प्राप्त कर 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावे।

निर्णय आज दिनांक 22–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:52:55 IST
Reason: SelfAttested